बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः राज्य के सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में अन्तर्वासी रोगियों के लिए पूर्व से निर्धारित पथ्य दर 10/–रू0 प्रति मरीज प्रतिदिन में वृद्धि करते हुए 25.00(पच्चीस) रूपये मात्र प्रति मरीज प्रतिदिन करने के संबंध में।

वर्त्तमान में राज्य सरकार के अधीन 25 सदर अस्पताल, 23 अनुमंडलीय एवं 70 रेफरल अस्पताल है । इसके अतिरिक्त संक्रामक रोग अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना, यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम एवं कुष्ठ निरोध कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पताल, अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय) एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत अस्पताल है । उक्त सभी अस्पतालों में अन्तर्वासी रोगियों की भर्त्ती कर चिकित्सा की जाती है । इन अस्पतालों में वर्त्तमान में प्रति मरीज प्रतिदिन 10/–रू0 की दर से पथ्य देने की व्यवस्था है । परन्तु महँगाई की वजह से वर्त्तमान समय में प्रचलित दर बहुत ही कम है क्योंकि 10/–रू0 में मरीजों को भोजन देने में कठिनाई है । पथ्य (भोजन) चिकित्सा का अभिन्न अंग है । रोगी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ, सुपाच्य एवं कम मसाला वाला आहार रोगी को कन्ट्रैक्ट बेसिस पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

2. पथ्य दर में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । विचारोपरान्त राज्य सरकार ने पूर्व में निर्धारित दर 10.00 रूपये (दस रूपये) प्रति मरीज प्रतिदिन को बढ़ाकर 25.00 रूपये (पचीस रूपये) प्रति मरीज प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है । प्रतिदिन मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का विवरण निम्न प्रकार है–

(क) सुबह का नास्ता–	पाव रोटी– 6 पीस अंडा– 1 (उबाला गया) दूध– टेट्रा पैक, 200 मिलीलीटर
(ख) दोपहर का भोजन–	चपाती/चावल–125 ग्राम दाल– 50 ग्राम सब्जी– 100 ग्राम दही– 100 ग्राम
(ग) शाम का नास्ता–	ग्लूकोज बिस्कूट–2 चाय–1 कप
(घ) रात का भोजन–	चार चपाती–100 ग्राम दाल– 50 ग्राम सब्जी– 100 ग्राम फल–(मौसम के अनुसार)

3. यह भोजन केवल गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को अनुमान्य होगा परन्तु इसके लिये किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी वरन् अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की संतुष्टि के पश्चात् यह देय होगा । यह निर्णय राज्य के सभी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं अन्य सरकारी अस्पतालों के अन्तर्वासी रोगियों पर लागू होगा ।

4–. रसोई घर चलाने के लिए सृजित पदों को पदधारकों की सेवा निवृति के साथ ही समाप्त कर दिया जायगा । सेवा निवृति तक उनकी योग्यता के अनुरुप काम लिया जायगा । यथा सम्भव रसोई घर स्थल को किराये पर दिया जायगा तथा संविदा के आधार पर रसोई बनाने का कार्य कराया जा सकता है जिससे कि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे ।

5— वर्त्तमान में वित्तीय वर्ष में (2005—2006) इस कार्य हेतु कुल 6,21,83,125/— (छः करोड़ इक्कीस लाख तेरासी हजार एक सौ पच्चीस) रू0 मात्र व्यय सम्भावित है । इस राशि का व्यय उपर्युक्त उल्लिखित स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों के लिए वित्तीय वर्ष 2005—06 के उपबंधित राशि से की जायगी । यदि उपबंधित राशि से अधिक का व्यय भार होगा तो वर्द्धित राशि की व्यवस्था आकस्मिकता निधि/ अनुपूरक आगणन से की जायगी ।

6— संबंधित सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा घोषित संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें । राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायगी।

7— यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

(परशुराम मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—10/विविध18—34/2002— 74(10) स्वा0, पटना दिनांक 27.5.05

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प कि 500 मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें।

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार,/वित्त आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—राज्य कुष्ट निवारण पदाधिकारी/उप निदेशक,(यक्ष्मा), अगमकुँआ, पटना/सभी क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी/ सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी/जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया। पदाधिकारी/ सहायक निदेशक,फाईलेरिया नियंत्रण/अधीक्षक, लेडी एलगिन जनाना अस्पताल, गया/एम. जे. के. अस्पताल बेतिया (प.चम्पारण)/राज्य औषधि नियंत्रक/निदेशक,यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, गुलजारबाग, पटना/दरभंगा/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल पटना/उपाधीक्षक, राजेन्द्र नगर, अस्पताल, पटना/गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक,सदर अस्पताल/उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,रेफरल अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी से अनुरोध है कि इनके अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अनुपालन हेतु सूचना अपने स्तर से दे दिया जाय।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख के सचिव/स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/कार्यवाह सहाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।